(नियम 26)
अदालत संभागीय आयुक्त, मुकाम,जयपुर।

बन्नेसिंह बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा:– अपील धारा 76 राज.राजस्व अधिनियम नम्बरः 2023/240

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.06.23	अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा आज अपील प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि विवादित भूमि ना कभी किसी भी प्रकार से सरकारी कार्य के उपयोग में नही लाई गई, ना ही अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 के द्वारा हाल आराजी खसरा नम्बर नम्बर 1965, 1966 की किसी भूमि पर कृषि वर्ष सम्वत् 2079 में कोई अतिक्रमण किया एवं ना ही सम्वत् 2079 में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 के द्वारा अतिक्रमण किये जाने बाबत पत्रावली के रिकार्ड पर कोई साक्ष्य ही है बल्कि हाल खसरा नम्बर 1966 रकबा 0.05 हैक्टयर तथा इससे लगती हुई अन्य भूमि शुरू से ही सैकडों वर्षो से अबादी के काम आ रही है जिस पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 अपने पिता के समय से ही यानि करीबन 50 वर्षो से अधिक समय से घर व बाडे बनाकर काबिज रहकर निवास व उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है तथा उक्त खामघरों के स्थान पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 ने करीबन 30 वर्षो से अधिक समय से पुख्ता मकान दुकान आदि बनाकर काबिज रहकर चारों भाईयों ने परिवार के सदस्य सहित निवास एव उपभोग–उपयोग करते चले आ रहे है। उक्त मकानात में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 ने सन् 1995 मे विधुत कनेक्शन लगाया था जो वर्तमान में भी चालू है और सभी भाईयों ने पृथक–पृथक विधुत कनेक्शन अपने–अपने मकानों में लगा रखे है और अमरावसिंह जी ने अपने स्वयं के नाम से एवं शैतान सिंह जी ने अपने पुत्र रोहिताश के नाम से सन् 2007 में उपरोक्त सम्पत्ति में जल कनेक्शन ले रखा है जिसका उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है इसलिये अपीलीय न्यायालय ने उप तहसीलदार अमरसर के निर्णय दिनांक 24.11.2022 को निरस्त नही करने में घोर अवैधानिकता कारित की है, जो काबिले निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली द्वारा पारित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2023 एवं उप तहसीलदार अमरसर जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2022 को निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 द्वारा अनाधिकृत रूप से सरकार भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट का दौराने बहस कथन है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर के निर्णय की पालना में नये सिरे से नाप–जोख नही कर तहसीलदार के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के आधार पर पर ही कार्यवाही की जा रही है जो उचित नही, मानने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उप तहसीलदार अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि भूमि विवादग्रस्त की नाप–जोख अपीलाधीन आदेश के अनुसार करने के पश्चात् यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो तदानुसार नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के अपीलाधीन निर्णय के अनुसार में अग्रिम कार्यवाही की जावें।

19/6/23

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।